

SMA अर NPA वर्गीकरण माथे गाहक वास्ते सिखण री जानकारी

1. परिचय

आ दस्तावेज़, RBI सर्कुलर नंबर RBI/DoR/2023-24/106 DoR.FIN.REC.No.45/03.10.119/2023-24 तारीख 19 अक्टूबर, 2023 रा मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 (अपडेटेड) रा पैरा 14.4.6 - "SMA/NPA माथे गाहक वास्ते सिखण" री पालना में, बाकी, स्पेशल मेंशन अकाउंट ("SMA") अर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स ("NPA") रा वर्गीकरण अर अपग्रेडेशन री धारणावां बाबत गाहकां री जागरूकता बधावण सारू तयार करी ज्यी है। इण में उदाहरण अर दिन खतम व्हेवा री प्रक्रिया भी समझाई ज्यी है

SMA/NPA री धारणावां माथे पूरी जाणकारी/समझ, साथै आखिरी तारीख रा खुलासा अर उदाहरण इण गाहक सिखण री जानकारी में दी जावे है।

2. आम जाणकारी

2.1 बकाया:

इण रो मतलब मूळ रकम/ब्याज/कर्ज खाता माथे लाग्यो कोई भी दूजो सुल्क है, जीं ने कर्ज री मंजूरी री सरतां रे मुजब तय बगत में चुकावणो व्हेवे है।

2.2 देरी सूं चुकावणो:

कर्ज री रकम रो वो हिस्सो जीं ने कर्जदार बगत माथे चुका नी पावे, उण ने बाकी रकम के'वे है, मतलब, कर्ज री बाकी रकम वा रकम है जीं ने चुकावण री आखिरी तारीख पछै भी नी चुकायो गयो होवे।

दूजा सब्दां में, कोई भी कर्ज सुविधा रे तहत OXYZO ने देवण आळी कोई भी रकम 'बाकी' मानी जावेला, जद उण ने OXYZO द्वारा तय करी ज्यी आखिरी तारीख तक नी चुकायो जावे।

2.3 देय बाकी अर बाकी रकम में अंतर

खाता रा विवरण में दीखण आळी "देय बाकी" रो मतलब वा कुल रकम है जीं खाता में हाल चुकाणी बाकी है, जद के "बाकी रकम" रो मतलब वा रकम है जीं ने तय करी ज्यी बगत में नी चुकायो गयो है।

2.4 स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA)

स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA) एक इसो खातो है, जी में शुरुआती तणाव रा लखण दीखे है, जीं रे कारण कर्जदार आपरा कर्ज री किस्त बगत माथे चुकावण में चूक करे है, चाहे RBI रा मौजूदा दिसा-निर्देशां रे मुजब इण खाता ने हाल तक NPA नी मान्यो गयो होवे। इसा खातां री जल्दी पिछाण OXYZO ने बगत माथे सुधार री कारवाही करण में मदद करेला, ताके उणा ने NPA में जावण सूं रोक्यो जा सके।

कोई भी खातो/सुविधा ने स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA) श्रेणी में गिण्यो जावेला, जद कर्जदार OXYZO ने चुकावण आळी रकम आखिरी तारीख तक नी चुकावे। बाकी रकम कितरी पुराणी है, इण रे आधार पर OXYZO कर्जदारां ने नीचे दी ज्यी SMA श्रेणियां में रिपोर्ट करे है।

SMA श्रेणी	रिवॉल्विंग सुविधावां रे अलावा दूजा कर्ज वर्गीकरण रो आधार- मूळ रकम या ब्याज रो भुगतान या कोई दूजी रकम पूरी या थोड़ी-घणी बाकी होवे	रिवॉल्विंग सुविधावां रे तहत कर्ज वर्गीकरण रो आधार- बाकी रकम लगातार मंजूर करी ज्यी सीमा या निकासी क्षमता, दोस्रां में सूं जिकी भी कम है, सूं ज्यादा बणी रे'वे, इतरा बगत सारू:
SMA-0	30 दिनां तक भुगतान बाकी	
SMA-1	30 दिनां सूं ज्यादा अर 60 दिनां तक बाकी	30 दिनां सूं ज्यादा अर 60 दिनां तक बाकी
SMA-2	60 दिनां सूं ज्यादा अर 90 दिनां तक बाकी	60 दिनां सूं ज्यादा अर 90 दिनां तक बाकी

कर्जदार रा खाता ने OXYZO द्वारा आखिरी तारीख री दिन-खतम ढैवा री प्रक्रिया रे हिस्से रे रूप में 'बाकी' चिह्नित करयो जावेला, चाहे आ प्रक्रिया कदै भी करी जावे। इणी तरियां, कर्जदार रा खातां रो SMA अर NPA रे रूप में वर्गीकरण सम्बंधित तारीख री दिन-खतम ढैवा री प्रक्रिया रे हिस्से रे रूप में करयो जावेला, अर SMA या NPA वर्गीकरण री तारीख वा कैलेंडर तारीख ढैवेला जीं दिन सारू दिन-खतम ढैवा री प्रक्रिया करी ज्यी है। दूजा सब्दां में, SMA/NPA री तारीख उण कैलेंडर तारीख रा दिन खतम ढैवा पर खाता री संपत्ति वर्गीकरण री स्थिति ने बतावेला।

उदाहरण: (आ उदाहरण सिरफ जाणकारी सारू है)

जे कोई कर्ज खाता री आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2021 है, अर इण तारीख सारू OXYZO री दिन-खतम ढैवा री प्रक्रिया सूं पे'ला पूरी बाकी रकम नी मिले, तो बाकी ढैवा री तारीख 31 अक्टूबर, 2021 ढैवेला। जे आ रकम बाकी बणी रे'वे, तो 30 नवंबर, 2021 ने दिन-खतम ढैवा री प्रक्रिया करण पर इण खाता ने SMA-1 चिह्नित करयो जावेला, यानी लगातार 30 दिन तक बाकी रे'वा पर। इण रे मुजब, उण खाता सारू SMA-1 वर्गीकरण री तारीख 30 नवंबर, 2021 ढैवेला।

इणी तरियां, जे खातो बाकी बण्यो रे'वे, तो 30 दिसंबर, 2021 ने दिन-खतम ढैवा री प्रक्रिया करण पर इण ने SMA-2 चिह्नित करयो जावेला, अर जे आगे भी बाकी बण्यो रे'वे, तो 29 जनवरी, 2022 ने दिन-खतम ढैवा री प्रक्रिया करण पर इण ने NPA वर्गीकृत करयो जावेला।

टर्म लोन रा ब्याज भुगतान सारू, एक खाता ने NPA वर्गीकृत करयो जावेला, जे तय बगत पर लाग्योड़ो ब्याज 90 दिनां सूं ज्यादा बगत सारू बाकी रे'वे।

इण रे अलावा, आ साफ करयो जावे है के NPA वर्गीकृत कर्या गया कर्ज खातां ने 'स्टैंडर्ड' संपत्ति रे रूप में सिरफ जदी अपग्रेड करयो जा सके है, जद कर्जदार द्वारा ब्याज अर मूळ रकम रो पूरो बकायो चुका दियो जावे।

3. जे खातो SMA/NPA में जावे तो कर्जदार माथे असर

नियामक दिसा-निर्देशां रे मुजब, कर्ज देवण आळी संस्थावां सारू जरूरी है के वे बगत-बगत पर SMA या NPA में वर्गीकृत कर्या गया कर्जदारां रा खातां री रिपोर्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां (CICs) ने देवे। इण तरियां री रिपोर्टिंग कर्जदार रा क्रेडिट इतिहास अर कर्ज चुकावण री क्षमता माथे असर कर सके है।

4. अस्वीकरण:

ध्यान राखज्यो के माथे बताया गया उदाहरण, SMA/NPA वर्गीकरण अर IRACP रा नियमां री आम परिस्थितियां ने बतावण सारू दिया गया है। आ उदाहरण सिरफ समझान सारू है अर संपूर्ण नी है, अर माथे बताया गया विषया माथे RBI द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ही मान्य क्वैवेला।